



Neutral Citation No.-2026:AHC:7025

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-21891 वर्ष 2025**

विनीत ..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2023 के अपराध संख्या-28 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-जमुनापर, जिला: मथुरा के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह जमानत का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 05.02.2023 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि गवाहों ने आवेदक के खिलाफ गवाही दी है और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है क्योंकि अ०सा०-11 का बयान चल रहा है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 10.11.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, बारह गवाहों से पूछताछ की गई है।

7. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (उपरोक्त) में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मददेनजर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्दी निर्णीत किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 12, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)